न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13 / 16 / 2021	2021 / 143	08.10.2021	19.03.2024

1. पंचायत समिति लक्ष्मणगढ अलवर जर्ये विकास अधिकारी।

—निगरानीकार

बनाम

1. हनीफ खांन पुत्र शमशेर खांन मिस्त्री जाति मेव निवासी ग्राम लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज०।
2. ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जरिये सचिव / सरंपच।

—गैरनिगराकार

निगरानी अन्तगर्त धारा 97(1) राज पंचायत राज अधिनियम 1994 व आदेश दिनांक 06.06.11 जिसके द्वारा निराकार 01 को निराकार 02 द्वारा में मकान का पट्टा गलत प्रकार से जारी किया गया है।

उपस्थितः—

01.श्री अशोक शर्मा —वकील निगरानीकार

02.श्री मूलचंद चौधरी —वकील अनिगरानीकार सं0 01

—:: निर्णय ::—

यह कि निगरानी प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ के समक्ष दिनांक 05.01.11 को गैरनिगरानीकार संख्या 01 ने एक प्रार्थना पत्र मय नक्शा प्रति दो एवं भूमि सम्बधि कागजात अपने मकान का मुताबिक पट्टा लेने बाबत प्रस्तुत किया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनाक 20.01.2011 को उज्रदारी नोटिस जारी किये गये। जिसमे किसी ने उज्र नहीं किया इस पर ग्राम पंचायत के पंचों द्वारा दिनांक 21.02.11 को मौका देखा गया। मौका रिपोर्ट मे पंचो ने लिखा कि मौके पर का पुख्ता मकान बना हुआ है एवं इस माकन में प्रार्थी अपने परिवार सहित रहता है। यह मकान प्रार्थी का बहुत ही पुराना है एवं इस मकान पर प्रार्थी का पूर्ण रूप से कब्जा है इस मकान पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

से पश्चिम तरफ उत्तर 55 फुट आम रास्ता तरफ दक्षिण 55 फुट, पपल का खेत, उत्तर से दक्षिण तरफ पूर्व 33 फुट रबेदीन का मकान एवं तरफ पश्चिम 33 फुट स्वयं की पड़त जमीन है जिसका कुल क्षेत्रफल 55 गुना 33 1815 वर्गफुट बनता है। जिसकी पट्टा फिस 200/ रूपये पंचायत कोष से जमा कर देने के बाद नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने के आदेश दिये गये। जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। गैरनिगराकार स० 2 ने उक्त पट्टा कतई नियम विरूद्ध जारी किया है तथा पंचायती राज अधि0 व राजस्थान पंचायती राज नियमों की पूर्णत अनदेखी व उपेक्षा करते हुये पट्टा जारी किया गया है। नियमन पट्टा जारी करते समय जिस मकान बाबत पट्टा जारी किया गया है उसकी सही वस्तुस्थिति की ही कोई जानकारी कि उक्त भूखण्ड पर जो निर्माण है, वह नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर कराया गया है या नहीं, ना ही नियमानुसार कोई मौके का निरीक्षण कराया गया जो कथित मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश कराई गई है । वह भी अपूर्ण है तथा उसने मौके से सबंधित कोई तथ्य मकान के आस पास की स्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही जहां मकान स्थित है उस मौहल्ले पडौस का कोई नाम ही अंकित किया गया है तथा मकान के आस पास सार्वजनिक रास्ते की स्थिति का कोई आकलन नहीं किया गया है कि अमुक मकान के निर्माण से किसी प्रकार का अतिक्रमण सार्वजनिक रास्ता या गली में तो नहीं किया गया है। मकान का पट्टा जारी करने हेतू जो उज्रदारी नोटिस निकाला गया है उसमे भी भूखण्ड की हदूद अर्वा या मौहल्ला/गली का कोई उल्लेख नहीं किया है ताकि उजदार मकान/भूखण्ड की कोई पहचान से उसकी उजदारी करने या करने की स्थिति पर विचार कर सके ना ही उज्रदारी नोटिस को सार्वजनिक स्थलों व प्रश्नगत भूखण्ड/भवन पर चस्पा किये जाने बाबत कोई निर्देश ही दिये गये ना ही उक्त उज्रदारी नोटिस को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया गया या ऐसी किसी रिपोर्ट का हवाला ही अपने विवादित आदेश मे लिखा है। इस प्रकार विनियमन पट्टा विधिक प्रावधानों की पूर्ण अनेदखी करते हुये जारी किया गया है जिस को मान्य करार नहीं दिया जा सकता है। उक्त पट्टे के आदेश बाबत जांच कराई गई तो उसे जांच में भी भारी अनियमितता जांच अधिकारी द्वारा पाई गई जिस जांच में पाया गया कि उक्त पट्टा प्रस्ताव स० 5 दिनांक 06.06.2011 के द्वारा जारी किया जाना अकित है। पत्रावली में शिकायतकर्ता की शिकायतानुसार आज्ञाओ की सूची आपत्तिया मांगने के नोटिस पर सरपंच की मोहर लगाई हुई है लेकिन सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। गैरनिगराकार को पट्टा 200 रुपये पट्टा फिस पंचायत कोष में जमा कर जारी किया गया है। पट्टा फीस की राशि पट्टा जारी करने से पूर्व जमा की जानी थी, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया है जिसके लिए सरपंच सचिव दोषी है एवं पंचायती राज नियमानुसार स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त नियम 147 के तहत निर्णय पारित किया जाकर नियम 148 के तहत आपतियां मागने का नोटिस जारी किया जाना था लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के पूर्व जारी किया गया है। उक्त विवादित पट्टा जिस भूखण्ड का दिया गया है वह आवेदक द्वारा नत्थू मेव वगै0 लक्ष्मणगढ़ खातेदार से क्रयशुदा है जिनको पट्टा पंचायत क्षेत्राधिकार से बाहर दिया गया है। इस प्रकार पंचायती राज

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

नियमो की अवहेलना करते हुये उक्त पट्टा जारी किया गया है। निगरानी पर नियमानुसार न्याय शुल्क चस्पा है तथा निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97(1) मे निगरानी बाबत कोई मियाद प्रावधित नहीं है। उक्त अवैधानिकता की जानकारी लोकायुक्त के पत्र दिनाक 30–317 से हुई जिससे यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है । अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि नियमन पट्टा आदेश दिनांक 06.06.2011 निरस्त किए जाने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान वकील की बहस व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैरनिगरानीकार संख्या 02 के द्वारा पेश प्रार्थना पट्टा बाबत् में प्रार्थी द्वारा किस भूखण्ड का पट्टा लेना है उसका अंकन नहीं किया गया और न ही भूखण्ड की दिशा अंकित की है। पत्रावली पर पेश मौका रिपोर्ट में भी पट्टा लेने वाले भूखण्ड का कोई अंकन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी उज्रदारी नोटिस में भी मात्र सरपंच की मोहर लगाकर जारी किया गया है। जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं हैं। जिस कारण नोटिस नियमानुसार जारी होना प्रतीत नहीं होता पत्रावली पर उपलब्ध जांच रिपोर्ट में भी विवादित पट्टे के संबंध में जांच अधिकारियों द्वारा अंकित किया है कि आपत्तिया मांगने के नोटिस पर सरपंच की मोहर लगाई हुई है लेकिन सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। गैरनिगराकार को पट्टा 200 रुपये पट्टा फिस पंचायत कोष में जमा कर जारी किया गया है। पट्टा फीस की राशि पट्टा जारी करने से पूर्व जमा की जानी थी, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया है जिसके लिए सरपंच सचिव दोषी है एवं पंचायती राज नियमानुसार स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त नियम 147 के तहत निर्णय पारित किया जाकर नियम 148 के तहत आपतियां मागने का नोटिस जारी किया जाना था लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के पूर्व जारी किया गया है। उक्त विवादित आदेश पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियमों के विपरीत है। जिससे प्रतीत है कि निगरानीकार द्वारा निगरानी में पेश तथ्य उचित है। निगरानी निगरानीकार स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ द्वारा जारी पट्टा संख्या 05 निर्णय दिनांक 06.06.2011 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)